

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना/दिनांक.....

विषय: COVID-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में संभावित बाढ़ की चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 329(11), दिनांक 29.04.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 1305, दिनांक 10.06.2020 एवं पत्रांक 1359 दिनांक 12.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक पत्रांक 329 (11), दिनांक 29.04.2020 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 1305, दिनांक 10.06.2020 एवं पत्रांक 1359 दिनांक 12.06.2020 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ लिया जाय, जिसके माध्यम से राज्य में संभावित बाढ़ एवं इसके कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसकी रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाये हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, ताकि बाढ़ से उत्पन्न जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके।

2. ध्यातव्य है वर्तमान में COVID-19 के संक्रमण तथा संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। संभावित है कि निकट भविष्य में भी संक्रमण की यह स्थिति बनी रहेगी। अतएव संभावित बाढ़ की चिकित्सकीय व्यवस्था के साथ COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित तैयारियाँ भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये-

- (क) जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों को नजदीक के Isolation Centre के साथ संबद्ध किया जाये।
- (ख) सभी बाढ़ राहत शिविरों में चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति करते हुये शिविर में आवासित व्यक्तियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग किया जाये।
- (ग) बाढ़ राहत शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक दल को COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग हेतु Infrared Thermometer एवं Pulse Oxymeter (Digital Finger- Clamp) उपलब्ध कराया जाये। चिकित्सा दल को संक्रमण से बचाव हेतु PPE Kits, N-95 Mask, 3-Ply Mask, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap, Sanitizer, Soap आदि उपलब्ध कराया जाये।
- (घ) बाढ़ राहत शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण/स्क्रीनिंग के दौरान लक्षणात्मक पाये गये व्यक्तियों का नियमानुसार नमूनाकरण आदि किया जाये।
- (ङ.) नमूना जाँचोपरांत COVID-19 True Positive पाये गये व्यक्तियों को उनके Symptom के severity के आधार पर राहत शिविर के साथ संबद्ध Isolation Centre अथवा यथाउपयुक्त COVID Treatment Centres में भर्ती किया जाये।

- (च) बाढ़ राहत केन्द्र के साथ संबद्ध स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध रखा जाये।
- (छ) COVID- 19 के संक्रमण से बचाव, infection control, social distancing से संबंधित पूर्व से निर्गमित सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- (ज) बाढ़ राहत शिविरों पर COVID-19 से संबंधित प्रचार-प्रसार:- Quarantine Centre पर COVID-19 से संबंधित मुख्यतः Social Distancing, हाथ धोने, मास्क के उपयोग, Home quarantine में बरती जाने वाली सावधानी आदि से संबंधित प्रचार-प्रसार किया जाये।

3. अतः संभावित बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था उपर्युक्त विधि से दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(उदय सिंह कुमावत)

ज्ञापांक:.....1374.....

पटना, दिनांक...12/06/2020.....

प्रतिलिपि:

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग